फर्द अहकाम

मुल्लाराम बनाम मालीराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 03/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	23/3/21	प० फ० उप०। पत्रावली का व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र 07 R II CPC स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आ० मि० किया गया। प्रकरण में डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर इन्द्राज रजि० से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0 / मु0) चौमूं, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

वाद संख्या :—03 / 2020

गुल्लाराम बनाम भागीरथ

(वाद—पत्र)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांकः— 23.03.2021

प्रार्थी / प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि वादी द्वारा उक्त वाद में स्वयं को स्व0 हनुमान एवं उसकी पत्नी छोटी देवी उर्फ घोटी देवी का दत्तक पुत्र बताकर स्व0 हनुमान व उसकी पत्नी छोटी देवी उर्फ घोटी देवी की पैतृक सम्पत्ति जो कि वाके ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित विवादित आराजीयात में 1 / 4 भाग बताते हुये गोदनामें के आधार पर दत्तक पुत्र मानकर उक्त आराजीयात में अपने उपरोक्त अनुसार हक की घोषणा हेतु उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष वादी गुल्लाराम द्वारा ही उनवानी वाद गुल्लाराम उर्फ गुल्या बनाम मालीराम व अन्य जिसके दीवानी वाद संख्या 13 / 2011(39 / 2011) प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादी गुल्लाराम द्वारा स्वयं को स्व0 हनुमान पुत्र गंगाराम, निवासी नांगल भरडा का दत्तक पुत्र घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौमूं, जिला जयपुर द्वारा वाद में उपस्थित सभी पक्षकारों को गुण व दोष के आधार पर सुनकर उक्त वाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2019 को किया गया, जिसमें गुल्लाराम वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को जिसमें गुल्लाराम द्वारा स्वयं को मृतक हनुमान का दत्तक पुत्र घोषित व मान्य करार दिये जाने के वाद को अस्वीकार कर खारिज कर दिया था।

दत्तक गौदनामें के विवादों के निस्तारण हेतु सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय हैं तथा सिविल न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवादित बिन्दु का निस्तारण किया जा चुका हैं, परन्तु वादी गुल्लाराम द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की मद (घ) में स्पष्ट रुप से वर्णित किया गया है जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हैं जो जिस न्यायालय के समक्ष ऐसा वाद प्रस्तुत किया गया हैं वह न्यायालय उस वाद को नामंजूर कर खारिज कर देगा। उक्त वाद में भी महत्वपूर्ण प्रश्न गोदनामें के आधार पर दत्तक पुत्र की हैसियत से मृतक की अचल सम्पत्ति की घोषणा स्वयं के नाम करवाने हेतु वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं, जबकि उक्त महत्वपूर्ण प्रश्न का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी[illegible]ला जयपुर द्वारा उनवानी वाद गुल्लाराम बनाम मालीराम वगै0 में निस्तारित कर[illegible] 18.12.2019 को पारित किया जा चुका हैं, कि वादी गुल[illegible] करवाने का अधिकारी नहीं हैं, इस कारण उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत नामंजूर किये जाने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की ओर प्रार्थना-पत्र का जवाब अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन किया की माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय चौमूं जिला जयपुर के समक्ष उनवानी वाद गुल्लाराम उर्फ गुल्या बनाम मालीराम व अन्य, वाद पत्र संख्या 13/2011 प्रस्तुत किया जाना व उसमें न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया जाना न्यायालय रिकॉर्ड का विषय है जो जवाब का मोहताज नहीं है किन्तु मिन वादी द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनाक 18.12.2019 की नियमित सिविल अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील संख्या 66894/2019 प्रस्तुत की जा चुकी है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2019 को स्टे किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2019 अंतिम नहीं है बल्कि उपरोक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध नियमित सिविल अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से जो वाद वादी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसमे तय किये जाने वाले बिन्दु सब्ज्यूडिस है। मिन वादी द्वारा सही व वास्तविक तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण वास्तविक तथ्यों को अंकित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तथा मिन वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वयं के दत्तक पुत्र होने या गोद पुत्र होने की कोई घोषणा उपरोक्त वाद पत्र के जरिये नहीं चाही गई है बल्कि वादी द्वारा काश्तकारी अधिकारों की घोषणा व तद्नानुसार इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष माननीय न्यायालय से चाहा गया है जिसे प्रदान करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ना होकर राजस्व न्यायालय को है। प्रार्थी-प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा जो आपत्तियां उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से उठाई गई है उन आपत्तियों को वे जवाब दावे में उठा सकते हैं जिनका निस्तारण न्यायालय द्वारा तनकी या प्रारम्भिक तनकी कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरान्त कर सकता है ना कि प्रकरण के इस स्तर पर जिस कारण प्रार्थी-प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रा0पत्र एवं पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दत्तक पुत्र होने के नाते ही काश्तकारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौमूं जिला जयपुर ने गुल्लाराम वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को जिसमें गुल्लाराम द्वारा स्वयं को मृतक हनुमान का दत्तक पुत्र घोषित व मान्य करार दिये जाने के वाद को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। न्यायालय अभिमत में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौमूँ

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

गुल्लाराम उर्फ गुल्या दत्तक पुत्र श्री हनुमान जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. मालीराम जाईन्दा पुत्र स्व0 मुरलीधर, दत्तक पुत्र गोमाराम,
2. कानाराम जाईन्दा पुत्र स्व0 मुरलीधर, दत्तक पुत्र गोमाराम,
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. रामलाल पुत्र स्व0 मुरलीधर,
4. लक्ष्मण पुत्र स्व0 मुरलीधर
5. प्रकाश पुत्र स्व मुरलीधर
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. रामेश्वरी देवी पत्नी रामलाल, पुत्री स्व0 मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. नन्छी देवी पत्नी सीताराम, पुत्री स्व0 मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
8. श्रीमती केसरी देवी पत्नी मालीराम, पुत्री स्व0 मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
9. श्रीमती पतासी देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी पत्नी श्री भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी जीवा वाली ढाणी, ग्राम रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
10. कानाराम पुत्र स्व0 प्रभाती देवी जाति जाट निवासी रुंडला की ढाणी, ग्राम सिंगोद कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. चुन्नाराम पुत्र स्व0 प्रभाती देवी जाति जाट निवासी रुंडला की ढाणी, ग्राम सिंगोद कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. गंगा देवी पुत्री स्व0 प्रभाती देवी पत्नी श्री बनवारी लाल, जाति जाट, निवासी जीवा वाली ढाणी, ग्राम रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
13. बाबूलाल पुत्र स्व0 प्रभाती देवी जाति जाट निवासी रुंडला की ढाणी, ग्राम सिंगोद कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. भागू देवी पत्नी अर्जुन पुत्री स्व0 प्रभाती देवी जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. मीरा देवी पत्नी लालूराम, पुत्री स्व0 [illegible] जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. गोकुल रुंडला पुत्र स[illegible] रुंडला की ढाणी, ग्राम सिंगोद कलां, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. हरिनारायण पुत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री [illegible]राम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण 01/2020
उनवान–[illegible] एवं सूजा बनाम मालीराम वगै0
निर्णय दिनांक–23.03.2021

18. राधेश्याम पुत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

19. श्रीमती लाक्षा देवी पत्नी स्व0 मालीराम पुत्रवधू स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

20. सत्यानारायण पुत्र स्व0 मालीराम पौत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

21. भागूराम पुत्र स्व0 मालीराम पौत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

22. सुरेश पुत्र स्व0 मालीराम पौत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

23. कानाराम पुत्र स्व0 मालीराम पौत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

24. महेन्द्र पुत्र स्व0 बद्रीनारायण पौत्र स्व0 सूजा देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

25. यश पुत्र स्व0 शिवराम, पौत्र स्व0 बद्रीनारायण, जाति जाट, नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती चन्दा देवी पत्नी स्व0 शिवराम, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

26. श्रीमती चन्दा देवी पत्नी शिवराम पौत्रवधू स्व0 बद्रीनारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम निन्दौला, वाया खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

27. श्रीमती ममता देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व0 बद्रीनारायण, पौत्री स्व0 सूजा देवी पत्नी भूराराम जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

28. रामेश्वरी देवी पत्नी झूंथाराम, पुत्री स्व0 सूजा देवी पत्नी भूराराम, जाति जाट, निवासी आमावाली ढाणी, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

29. राजस्थान राज्य जरिये उप–तहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

31. उप–पंजियक, उपपंजियक कार्यालय खेजरोली, उप तहसील खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

32. चुन्नीलाल पुत्र भगवानसहाय जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

33. चौथमल पुत्र भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जयपुर।

34. छोटूराम पुत्र भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जयपुर।

35. जडाव पत्नी प्रभू,जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जयपुर।

36. डालू पुत्र बींजा, जाति [illegible] चौमूं, जयपुर।

37. पेमा पुत्र बींजा, जाति जाट, निवासी ग्राम [illegible] तहसील चौमूं, जयपुर।

38. मोहनलाल पुत्र भगवान[illegible] तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

39. जगदीश पुत्र नारायण जाति जाट, निवासी ग्रा[illegible]ंगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

40. भगवानसहाय पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

41. विजय सिंह पुत्र अमरसिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

42. सोनी देवी पत्नी नारायण, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

43. छीतर पुत्र गंगाराम जाति जाट, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

44. चौथमल पुत्र स्व0 मोहरी देवी पत्नी गंगाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

45. सुल्तान उर्फ शैतान स्व0 गोमला जाति जाट, निवासी ग्राम ठीकरिया बावडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

46. रामू पुत्र स्व गोमला जाति जाट, निवासी ग्राम ठीकरिया बावडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

47. अशोक पुत्र स्व0 गोमला जाति जाट, निवासी ग्राम ठीकरिया बावडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

48. शिम्भुदयाल पुत्र स्व0 गोमला जाति जाट, निवासी ग्राम ठीकरिया बावडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

49. प्रभाती देवी पत्नी स्व0 गोमला जाति जाट, निवासी ग्राम ठीकरिया बावडी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

50. गणेशी देवी पत्नी लाला, पुत्री स्व0 गोमला, जाति जाट, निवासी ग्राम नारोलाई, अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

51. श्रीमती छोटी देवी उर्फ घोटी देवी उर्फ श्रवणी देवी वर्तमान पत्नी ग्यारसी लाल रुण्डला, जाति जाट, हाल निवासी सेपटपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर एवं घटवाली बोबाडी, ग्राम चारणवास, जिला जयपुर।

52. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

53. आई सी आई सी आई बैंक लि0 जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

54. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

55. जयपुर थार ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

56. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

57. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उनवान- [illegible] उर्फ [illegible] बनाम [illegible] वगैरा
मु0सं0–03 / 2020
निर्णय दिनांक–23.03.2021

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अ0 धारा 88, 53 एवं 188 आर. टी. एक्ट)

मुकदमा नं0:–03 / 2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रुबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया गया है अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.03.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3		1

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.08.05 13:09:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा... कोर्ट)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner